(2)

Signature
ACC Name-Pawan Kum
ACC Code-UP1419500
Address-Registry Office
License No.-2/5/5-Tehsil & Dis
Hardoi Mob.-98395527

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

₹7,200

e-Stamp

₹7,200₹7,200₹7,200₹7,200

Certificate No.	:	IN-UP31788675289248U
Certificate Issued Date	:	01-Jul-2022 03:03 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14195004/ HARDOI SADAR/ UP-HRD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14195004554981014O4177U
Purchased by	:	SRI BALAJI MAHARAJ SHIKSHA AVM SAMAJ KALYAN SAMIT
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	VILLAGE PAHUNTERA TEHSIL AND DISTT HARDOI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SRI BALA JI MAHARAJ MAHAVIDYALAYA
Second Party	:	SRI BALAJI MAHARAJ SHIKSHA AVM SAMAJ KALYAN SAMIT
Stamp Duty Paid By	:	SRI BALAJI MAHARAJ SHIKSHA AVM SAMAJ KALYAN SAMIT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	7,200 (Seven Thousand Two Hundred only)

सत्यमेव जयते

₹7,200

...88675289248U

Verified [redacted] LOCKED S.R

0000836588

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned by Scanner Go

क्र 9573
2088

9

किरायानामा का संक्षिप्त विवरण

समयावधि- 30 वर्ष तक के लिये
मासिक किराया 5,000/-रूपया
वार्षिक किराया 60,000/-रूपया
स्टाम्प देयता हेतु वार्षिक किराया 60,000/-रूपया का 6 गुने 3,60,000/-

(1) भूमि का प्रकार–आवासीय भूमि–ग्रामीण क्षेत्र
(2) परगना–बंगर तहसील व जिला हरदोई
(3) स्थित–ग्राम **पहुंतेरा** परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई।
(4) विवरण–भूमिखण्ड संख्या 1130क/2रकवा 1.0420 हेक्टेयर या 10420 वर्ग मीटर मे से रकवा 8104.44 वर्ग मीटर
(5) मापन की इकाई–वर्ग मीटर
(6) क्षेत्रफल–8104.44 वर्ग मीटर
(7) सड़क की स्थिति–
(8) अन्य विवरण–
(9) भूमि का प्रकार–
(10) कुल क्षेत्रफल–
(11) कुल आच्छादित क्षेत्रफल–
(12) स्थिति–
(13) पेडो का मूल्यॉकन–
(14) बोरिंग/कुआँ/अन्य–
(15) निर्मित क्षेत्रफल–
(16) निर्मित क्षेत्रफल का निर्माण वर्ष–
(17) सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित –
(18) धनराशि ----------------मालियत 3,60,000/- स्टाम्प 7,200/- 2%

चौहद्दी–पूरब–खेत रामकुमार आदि पश्चिम–प्रतापनगर माधौगंज मार्ग
उत्तर–बाग श्रीमती कंचन प्रभा दक्षिण–भूमिखण्ड संख्या 1130क/2 का शेष भाग

प्रथम पक्ष का विवरण–संख्या (1)
(1) **श्री बाला जी महराज महाविद्यालय**
ग्राम पहुंतेरा हरदोई
द्वारा प्रबन्धक
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ **कृष्ण कुमार**
पुत्र श्री गोपीचरन
निवासी ग्राम रूकनापुर
परगना मल्लावॉं
तहसील बिलग्राम जिला हरदोई
पेशा–व्यापार
पहचान–CHOPK4618P
मो0 न0 9452853494

द्वितीय पक्ष का विवरण–संख्या (1)
(1) **श्री बाला जी महराज शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति**
ग्राम पहुंतेरा हरदोई
द्वारा प्रबन्धक **कृष्ण कुमार**
उर्फ **कृष्ण कुमार सिंह**
पुत्र श्री गोपीचरन
निवासी ग्राम रूकनापुर
परगना मल्लावॉं
तहसील बिलग्राम जिला हरदोई
पेशा–व्यापार
पहचान–CHOPK4618P
मो0 न0 9452853494

KSingh

KSingh

Scanned by Scanner Go

लीज डीड

समयावधि- 30 वर्ष तक के लिये
मासिक किराया 5,000/-रूपया
वार्षिक किराया 60,000/-रूपया
स्टाम्प देयता हेतु वार्षिक किराया 60,000/-रूपया के 6 गुने 3,60,000/-रूपया पर 2% की दर से अदा स्टाम्प 7,200/-रूपया

हम कि **श्री बाला जीं महराज महाविद्यालय** ग्राम पहुंतेरा हरदोई द्वारा प्रबन्धक **कृष्ण कुमार सिंह** उर्फ **कृष्ण कुमार** पुत्र श्री गोपीचरन निवासी ग्राम रूकनापुर परगना मल्लावाँ तहसील बिलग्राम जिला हरदोई (प्रथम पक्ष) व **श्री बाला जी महराज शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति** ग्राम पहुंतेरा हरदोई द्वारा प्रबन्धक **कृष्ण कुमार** उर्फ **कृष्ण कुमार सिंह** पुत्र श्री गोपीचरन निवासी ग्राम रूकनापुर परगना मल्लावाँ तहसील बिलग्राम जिला हरदोई (द्वितीय पक्ष किरायेदार) के है।

जो कि प्रथम पक्ष एक किता **भूमिखण्ड संख्या 1130क/2 रकबा 1.0420 हेक्टेयर स्थित ग्राम पहुंतेरा परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई के पूर्ण भाग का जरिये विक्रय पत्र रजिस्टी दिनाँक 17.12.2007 दस्तावेज क्रमांक 10661** रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उप निबन्धक हरदोई द्वारा क्रय कर मालिक व काबिज है जो हर प्रकार से सुरक्षित है जिसके सम्बन्ध मे प्रथम पक्ष को हर प्रकार के अधिकार प्राप्त है जो कि उपरोक्त वर्णित **भूमिखण्ड जिसका रकबा 1.0420 हेक्टेयर या 10420 वर्ग मीटर है जिसमे मुझ प्रथम पक्ष**

K Singh K - Singh

Scanned by Scanner Go

का पूर्ण भाग है है जिसमे से रकबा 2315.56 वर्ग मीटर सुरक्षित रखते हुये रकबा 8104.44 वर्ग मीटर का किरायानामा (लीज डीड) प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनाँक 01.07.2022 से दिनाँक 30.06.2052 तक के लिये किया जा रहा है जिसकी शर्ते निम्न है:–

(1) यह कि मासिक किराया मुद्रा रूपया 5,000/- (पाँच हजार रूपया) अदा करेगा जो 30 वर्ष का लाभांश मुद्रा रूपया 18,00,000/-(अठ्ठारह लाख रूपया) होगा जो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त होगा। जो समिति के सभी सदस्यो को सहज स्वीकार है।

(2) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समिति के सभी सदस्यो को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि व भाव किरायानामा (लीज डीड) पर लेने के लिये तैयार है आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यो की सहमित से किरायानामा (लीज डीड) निष्पादित की जा सही है उपरोक्त किरायानामा (लीज) के सम्बन्ध मे प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य जो शर्ते हुई है उनको लिपिबद्ध किया जा रहा है ताकि सनद रहे तथा समय पर काम आवे।

(3) यह कि दोनो पक्ष सम्पति हस्तान्तरण एक्ट 1882 (Transfer of Praperty Act 1882) अथवा जो भी कानून/नियम राज्य व भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये जायेगे उनमे किरायानामा (लीज) हेतु निहित सभी प्रावधानो का पालन करेगे।

Scanned by Scanner Go

(4) यह कि भारत के किसी न्यायालय मे उपरोक्त भूमि के सन्दर्भ मे कोई विधिक कार्यवाही लम्बित नही है जो कि उक्त भूमि को किरायानामा (लीज) पर देने अथवा लेने के बाधक हो।

(5) यह कि किरायानामा (लीज डीड) **दिनाँक 01.07.2022** से आगामी **30 वर्षो** हेतु अपरिवर्तनीय है **30 वर्षो** की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त यह किरायानामा (लीज डीड) स्वतः समाप्त हो जायेगी अथवा दोनो पक्ष आपसी सहमति के आधार पर किरायानामा (लीज डीड) को आगे की अवधि के लिये पुनः स्थापित कर सकते है जिस पर पुनः स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क देय होगा।

(6) यह कि उक्त भूमि पर किरायानामा (लीज डीड) की तिथि से पूर्व एवं किरायानामा (लीज डीड) के दिनाँक तक किसी सरकारी, गैर सरकारी अथवा व्यक्ति से वित्तीय देनदारियाँ शेष नही है। यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बाधा से मुक्त है तथा पाक–साफ है।

(7) यह कि द्वितीय पक्ष किरायानामा (लीज डीड) को इस भूमि/भवन को किसी अन्य पक्ष को किरायानामा (लीज) पर देने का कोई अधिकार नही होगा।

(8) यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान के भवन का निर्माण अथवा निर्मित भवन में परिवर्तन कराकर सभी सम्बन्धित संस्थाओ से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।

(9) यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान संचालन के क्रम मे भवन निर्माण एवं शैक्षणिक संस्थान विधिक

Scanned by Scanner Go

रूप हेतु विधिक कार्यवाही हेतु स्वंत्रत होगा।

(10) यह कि द्वितीय पक्ष किरायानामा (लीज) की तिथि से एवं उसके बाद किरायानामा (लीज) की अवधि मे उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी विधिक टैक्स/शुल्क जमा करने हेतु उत्तरदायी एवं बाध्य होगा।

(11) यह कि आवश्यकतानुसार यदि द्वितीय पक्ष को किसी भी विधिक, सरकारी कार्य हेतु सवामित्व के सम्बन्ध मे प्रमाण प्रस्तुत करना पडता है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ उपस्थित होकर सम्पूर्ण सहयोग करेगा एवं उपरोक्त कार्यवाही को पूर्ण करायेगा। अस्तु सचेत तथा सज्ञान दशा मे बिना किसी जोर व दबाब के राजी खुशी से यह **किरायानामा (लींज डींड)** लिख दिया कि सनद होवे व समय पर काम आवे। विदित होवे कि **भूमिखण्ड संख्या 1130क/2 रकबा 1.0420 हेक्टेयर स्थित ग्राम पहुंतेरा परगना बंगर तहसील व ज़िला हरदोई के पूर्ण भाग को जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित करा ली है।**

Scanned by Scanner Go

यह प्रलेख हम उभय पक्षो के द्वारा दी गयी जानकारी व प्रस्तुत अभिलेखो के आधार पर तैयार किया गया। जिसको हम उभय पक्षो व गवाहानो ने पढ़ व सुनकर व समझकर अपने हस्ताक्षर/नि0 अंगुठा बनाये है जो हमे मान्य है।

गवाह नम्बर (1) **प्रवीण कुमार शुक्ला** प्रवीण कुमार
पुत्र श्री योगेन्द्र नाथ शुक्ला
निवासी ग्राम पहुंतेरा
परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई
पेशा–कृषि
मोबाइल नम्बर **8299001941**

गवाह नम्बर (2) **पुष्पेन्द्र कुमार**
पुत्र श्री गंगा चरण
निवासी ग्राम मोहद्दीनपुर पुष्पेन्द्र कुमार
तहसील बिलग्राम जिला हरदोई
पेशा–कृषि
मोबाइल नम्बर **9651853699**

प्रारूप तैयार कर्ता–सरोज कुमार
मोबाइल नम्बर 9838635939
दस्तावेज लेखक–रजिस्ट्री कार्यालय हरदोई–अनु० सं० [illegible]
विधिमान्य तिथि–31.03.2024 [illegible]
ली गयी फीस 200/- हस्ताक्षर [illegible] तिथि-[illegible].07.2022